तारीख हुक्म	**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज.** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **बउनवान सुरेश बनाम रघुवीर,** **परिवाद प्रकरण संख्या–71/2023**	नंबर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2026	परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने एक परिवाद, न्यायालय समक्ष दिनांक 26.06.2023 को इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने, परिवादी को विधिक ऋण के दायित्व हेतु **चैक संख्या 146809, दिनांकित 10.05. 2023, खाता संख्या 03780110024126, राशि 1,58,000/–रूपये, बैंक यूको बैंक, शाखा अंता, जिला बारां राज.** का अपने हस्ताक्षर कर, परिवादी को दिया, जिसे परिवादी ने, सिकारने हेतु, अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अंता में पेश किया। उक्त चैक, बैंक द्वारा **''Insufficient Fund''** के रिमार्क से अनादरित कर, दिनांक 12.05.2023 को परिवादी को वापिस लौटा दिया गया, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस, अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया, जो अभियुक्त को दिनांक 29.05.2023 को प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी, अभियुक्त द्वारा, चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा, अपने परिवाद के समर्थन में जारी किया गया चैक, बैंक का रिटर्न मीमो, विधिक नोटिस की प्रति, डाक रसीद आदि पेश की है, जिनसे प्रथमदृष्ट्या परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी ने, अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने सशपथ परिवाद पत्र के अभिवचनों की पुष्टि की है। परिवादी ने, स्वयं को धारा 200 सीआर.पी.सी. के तहत परीक्षित कराया तथा उक्त बयान में भी परिवादी ने, अभियुक्त द्वारा कृषि कार्य की आवश्यकता बताकर 1,58,000/–रूपये उधार दिये जाने का कथन किया है। ऐसे में, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिवादी द्वारा, प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से, प्रथमदृष्ट्या अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते है। अतः **अभियुक्त रघुवीर योगी पुत्र मोहनलाल, निवासी मौजा डाबरी नक्की जी, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.** के विरूद्ध धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इंडियन बैंक एसोशियसन के मामले में, चैक संबंधित मामलों में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि सम्मन के मामलों में ना के बराबर तलबी मुलजिम हो पाती है एवं समय नष्ट होता है। ऐसे में, न्यायालय मामले के शीघ्र निस्तारण के लिये जमानती वारंट मात्र 200/–रूपये, जो अत्यंत अल्प राशि है, से जारी करना उचित समझता है। परिवादी द्वारा धारा–204 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना करने पर एवं नियमानुसार तलवाना पेश होने पर, अभियुक्त को जरिये जमानती वारण्ट 200/–रूपये से तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्त हेतु दिनांक 05. 09.2026 को पेश हो।	